

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 257]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 3 मई 2018—वैशाख 13, शक 1940

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 मई 2018

क्रमांक एफ-3-2-2018-एक-10.—मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम, 1981 (क्रमांक 37 सन् 1981) की धारा 13-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, लोकायुक्त की अनुशंसा पर, श्री बी. एल. कुलमी, सेवानिवृत्त अपर कलेक्टर को सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 07 मई 2015 द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिये संभागीय सतर्कता समिति, उज्जैन संभाग, उज्जैन में सदस्य के पद पर नियुक्त किया गया था. जिसकी अवधि दिनांक 14 मई 2018 को समाप्त होने के कारण राज्य शासन, एतद्द्वारा, लोकायुक्त की अनुशंसा पर, श्री बी. एल. कुलमी, सदस्य को संभागीय सतर्कता समिति, उज्जैन संभाग, उज्जैन में दिनांक 15 मई 2018 से 3 वर्ष की अवधि के लिये पुनः सदस्य के पद पर नियुक्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धरणेन्द्र कुमार जैन, उपसचिव.